PRESS NOTE MEERUT RANGE

प्रेस नोट दिनांक 22.04.219 जनपद मेरठ

अवैध शराब सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना टीपीनगर पुलिस द्वारा दिल्ली रोड मण्डी गेट के सामने से अभियुक्तगण 1. पवन पुत्र ओमप्रकाश नि0 ग्राम तारापुर थाना हस्तिनापुर मेरठ, 2. मोनू पुत्र कृष्णपाल नि0 शिवपुरम चांदना चौक थाना टीपीनगर मेरठ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 48 पव्वा शराब अंग्रेजी बेस्टो व्हिस्की हरियाणा मार्का बरामद होना। अभियुक्तो के विरूद्ध थाना टीपीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

अवैध मादक पदार्थ सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जानी पुलिस द्वारा जानीनहर पुल से शिवाल की ओर से अभियुक्त जाहिद पुत्र अब्दुल रहमान नि0 सिसौला बुजुर्ग थाना जानी मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 21 पुडिया (करीब 100 ग्राम वजन) गांझा बरामद होना। अभियुक्त के विरूद्ध थाना जानी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.04.19

01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः– थाना इन्द्रापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 21.04.19 को समय करीब 14:30 बजे साई मन्दिर के पीछे अभयखण्ड से अभियुक्त साहिल पुत्र फिरोज निवासी ग्राम मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गा0बाद को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

04 अभियुक्त लूट की योजना बनाते गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व 03 अदद चाकू नाजायज बरामद----- थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 21/4/19 समय करीब 21.35 बजे बहेटा रेलवे लाईन से 04 शातिर किस्म के वांछित अपराधी (1) अयूब पुत्र आशू नि0 राणावत कच्ची कालोनी लोनी थाना लोनी गा0बाद (2) शाबाद उर्फ सोनू पुत्र मोईनुद्दीन नि0 कंचन पार्क लोनी थाना लोनी गा0बाद (3) विपिन पुत्र चरने नि0 ग्राम मंडौली टोकी कुन्डली सोनीपत हरियाणा (4) नरेन्द्र पुत्र जयपाल नि0 ग्राम मण्डौली टोकी कुन्डली सोनीपता हरियाणा।को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद कारतूस जिन्दा व 3 अदद चाकू नाजायज बरामद हुए है

गिरफ्तार अभि0गण का विवरण-

1- अयूब पुत्र आशू नि0 राणावत कच्ची कालोनी लोनी थाना लोनी गा0बाद।
2- शाबाद उर्फ सोनू पुत्र मोईनुद्दीन नि0 कंचन पार्क लोनी थाना लोनी गा0बाद।
3- विपिन पुत्र चरने नि0 ग्राम मंडौली टोकी कुन्डली सोनीपत हरियाणा।
4- नरेन्द्र पुत्र जयपाल नि0 ग्राम मण्डौली टोकी कुन्डली सोनीपता हरियाणा।

बरामदगी-

1- 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद कारतूस जिन्दा
2- 03 अदद चाकू नाजायज ।

अपराध का तरीका-

अभि0गण शातिर किस्म के अपराधी है जो लूट व चोरी जैसे अपराध कारित करते है, पेशेवर अपराधी है।

अपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 345/19 धारा 398/401 भादवि बनाम अयूब, शाबाद, विपिन, नरेन्द्रथाना लोनी बोर्डर गा0बाद।
2- मु0अ0सं0 346/19 धारा 3/25 A.Act बनाम अयूब थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।
3- मु0अ0सं0 347/19 धारा 4/25 A.Actबनाम शादाब उर्फ सोनू थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।
4- मु0अ0सं0 348/19 धारा 4/25 A.Act बनाम विपिन थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।
5- मु0अ0सं0 349/19 धारा 4/25 A.Act बनाम नरेन्द्र थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।
6- मु0अ0सं0 218/08 धारा 379/411/34 भादवि बनाम अयूब थाना वेलकमदिल्ली।
7- मु0अ0सं0 004/10 धारा 392/411/34 भादवि बनाम अयूब थाना वेलकम दिल्ली।
8- मु0अ0सं0 171/10 धारा 365/395/412/34 भादवि बनाम अयूब थाना नन्द नगरी दिल्ली।

दिनांक 11/4/19 को ग्राम काजीपुरा में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में वांछित 02 नफर अभि0गण गिरफ्तार, निशानदेही पर आला कत्ल 02 अवैध तमंचे व 01 बुलट बाईक बरामद- थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा **दिनांक 21/04/19** को मुखबिर खास की सूचना पर समय सांय 06.00 बजे कचैडा बार्डर के पास चौकी वेव सिटी को जाने वाली सडक से कार्यवाही करते हुए अ0सं0 300/19 धारा 147/148/149/302/34/120बी भादवि में वांछित चल

रहे 02 नफर अभि0गण को मय घटना में प्रयुक्त बुलैट मौ0सा0 न0 UP14CU3715 सहित गिरफ्तार किया है। अभि0गण की निसादेही पर हत्या में प्रयुक्त 1-1 कुल 02 अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुए है। गिरफ्तार अभियुक्तगण ने सम्पत्ति के बटवारे के विवाद को लेकर विपिन कुमार की गोली मारकर हत्या करना स्वीकार किया है।

<u>पूछताछ का विवरण -</u> गिरफ्तार अभियुक्त दुष्यन्त ने पूछने पर बताया कि हम चार भाई बहन हैं। हमारी बहन ग्राम बहादरपुर थाना सरधना जिला मेरठ में इन्द्रवीर पुत्र प्रहलाद सिंह को ब्याही है जिनके दो लडके है बडा आदित्य उर्फ मार्शल तथा छोटा आर्य उर्फ कोतू है। मार्शल उर्फ आदित्य छोटेपन से ही मेरे पास ही रह रहा है। हम तीन भाई संजय विपिन तथा मैने अपना पैसा लगाकर एक प्लाट काजीपुरा में ही भांजे आदित्य उर्फ मार्शल के नाम कर दिया था। प्लाट को विपिन व संजय वापस मांग रहे थे। जिसकी कीमत 12 लाख रूपये रखी गयी। 12 लाख रूपये संजय तथा विपिन ने अल्का को दे दिये थे। और बैनामा वापस कर लिया था। परन्तु अलका ने कब्जा नही छोडा था। और पन्द्रह लाख रूपये मांग रही थी तथा विपिन व आदित्य उर्फ मार्शल ने एक प्लाट 160 वर्ग गज का हाईटेक सिटी में भी साजे मे खरीदा था लेकिन इस प्लाट पर विपिन ने कब्जा कर रखा था। विपिन हाईटैक सिटी वाले प्लाट में से मार्शल को हिस्सा नही दे रहा था। इसी सम्पत्ति से आपसी विवाद के कारण अल्का हमारी दादालाई संपत्ति में से अपना पांचवा हिस्सा मांगने लगी थी। विपिन पैतृक संपत्ति से बहन अल्का को हिस्सा नही दे रहा था तो मै अल्का के पक्ष में हो गया था। इसी बात को लेकर हमारे परिवार में कई दिन से विवाद चल रहा था। घटना के दिन सवेरे ही बहन अल्का उसका पति इन्द्रवीर तथा अल्का के दोनो लडके आदित्य उर्फ मार्शल व आर्य उर्फ कोतू काजीपुरा आये थे। गांव के अन्दर हमारे पुराने मकान है मैने अपने हिस्से के मकान में लैट्रीन बनवानी शुरू कर दी थी। मैने इन्दरवीर, कोतू, मार्शल तथा अलका ने सवेरे ही घर पर तय कर लिया था कि आज विपिन को निपटा देंगे। इसलिए पुराने मकान पर मै स्वयं इन्दरवीर , कोतू, और मार्शल अपने अपने तमंचा कारतूस लेकर पूरी तैयारी से गये थे। दिनांक 11/4/19 को वोट पडने वाले दिन सवेरे 10 बजे के करीब विपिन, संजय, शक्ति तथा विक्की व विपिन की पत्नी अनीता वहीं पुराने मकान पर पहुंच गये और मेरे काम में अंडंगा डालने लगे तो मैने कहा की तुम इस मकान में अलका का पांचवा हिस्सा क्यो नही देना चाहते। इस बात को लेकर मेरी विपिन से कहा सुनी होने लगी तभी प्री प्लान के अनुसार मैने अपनी अंटी से तमंचा निकाला तब तक मार्शल ने विपिन की कोली भर ली और मैने विपिन को गोली मार दी। घाल होकर विपिन छूटकर अंदर गली में भागा तो मार्शल इन्दरवीर व कोतू ने भी दौडकर विपिन को पकडकर गोलियां मार दी। जिससे विपिन सुभाष के मकान के सामने लहुलुहान होकर गिर पडा। तभी अनीता व संजय ने शोर मचाया तो इन्दरवीर व कोतू तमंचा लहराते हुए सुभाष वाली गली से तथा मै और मार्शल अपनी बुलैट मोटरसाईकिल जो मैने खडंजे पर खडी की थी पर बैठकर भाग गये थे। कोतू, अलका, इन्दरवीर, मेरी नई कोठी से मेरी स्कार्पियो लेकर फरार हो गये मैने और मार्शल ने अपने अपने तमंचा जिससे विपिन की गोली मारकर हत्या की थी, वह गूर्जरगढी इनायतपुर के जंगल में वेवसिटी के पास छिपा दिये थेजो आज पुलिस को हमने बरामद करा दिये है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-पता व आपराधिक इतिहास–</u>

<u>**1- दुष्यन्त** पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम काजीपुरा थाना मसूरी जिला गाजियाबाद</u>

मु0अ0सं0 300/19 धारा 147/148/149/302/34/120बी भादवि थाना मसूरी

मु0अ0सं0 37/2001 धारा 302 भादवि थाना मसूरी

मु0अ0सं0 322/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी

<u>**2- आदित्य उर्फ मार्शल** पुत्र इन्द्रवीर निवासी ग्राम बहादरपुर थाना सरधना जिला मेरठ</u>

मु0अ0सं0 300/19 धारा 147/148/149/302/34/120बी भादवि थाना मसूरी

मु0अ0सं0 323/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी

बरामदगीः-

1- 1 अदद तमंचा 315 बोर हत्या में प्रयुक्त (दुष्यन्त सिंह से)

2- 1 अदद तमंचा 315 बोर हत्या में प्रयुक्त (आदित्य से)

3- 1 अदद बुलैट मौ0सा0 UP14CU3715 घटना में प्रयुक्त (दुष्यन्त व आदित्य से)

चैकिंग के दौरान 01 सैन्ट्रो, 01 बुलैरो कार व 20 पेटी अवैध शराब बरामद- थाना इंदिरापुरम पुलिस को दिनांक 21.04.2019 को ग्रीन बैल्ट नीतिखंड से चैकिंग के दौरान 01 सैन्ट्रो व 01 बुलैरो कार से 20 पेटी अवैध शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। चैकिंग को देखकर अभियुक्तगण (मन्नू,मुके ा,अंकित) अपनी–2 कारो को छोडकर फरार हो गये।

बरामदगी– 20 पेटी गैर प्रान्त अवैध शराब(कुल–960 पव्वे)

PRESS NOTE दिनांक 22.04.2019

जनपद बागपत पुलिस का सराहनीय कार्य

थाना बिनौली क्षेत्र के ग्राम धनौरा सिल्वर नगर में हुई युवक की दिनदहाडे हत्या करने वाले 03 अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो तमंचे 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस नाजायज बरामद–

➢ **घटना का संक्षिप्त विवरण–**

दिनांक 20.04.2019 को थाना बिनौली क्षेत्रार्न्तगत ग्राम धनौरा सिल्वर नगर में सत्यपाल उर्फ नीटू पुत्र मुन्सी नि0 ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत की ग्राम धनौरा सिल्वर नगर मे गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के सम्बन्ध में मृतक सत्यपाल उर्फ नीटू के भाई कुलदीप के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 96/19 धारा 147,148,149,302,34 भादवि बनाम **1–आनन्द पुत्र बनवारी 2–श्रीमती मोहन देवी पत्नी आनन्द 3– कु0 खुशबू पुत्री आनन्द 4–अमित पुत्र सुभाष 5–मोहित पुत्र सुभाष निवासीगण ग्राम धनौरा सिल्वर थाना बिनौली जनपद बागपत** पंजीकृत हुआ।

➢ **पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही** –

उक्त घटना के सम्बन्ध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बागपत महोदय के निर्देशन में थाना बिनौली पुलिस द्वारा तत्परता से की गयी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 22.04.2019 को मुखबिर की सूचना पर घटना में संलिप्त अभियुक्त **1–आनन्द पुत्र बनवारी 2–श्रीमती मोहन देवी पत्नी आनन्द 3– कु0 खुशबू पुत्री आनन्द निवासीगण ग्राम धनौरा सिल्वर थाना बिनौली जनपद बागपत** को ग्राम बिजवाडा गेट से गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त नाजायज असलहा 02 **तमंचे 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस** बरामद हुआ।

➢ **पूछतांछ में प्रकाश में आये महत्वपूर्ण तथ्य**–

पूछतांछ पर बताया कि मृतक सत्यपाल उर्फ नीटू अभियुक्त आनन्द के ताऊ का लडका था। वर्ष 2017 में अभियुक्त आनंद के पुत्र अंकित (उम्र 20) का शव संदेहजनक स्थिति में पेड पर लटका मिला था। इस प्रकरण में आनंद ने कोई अभियोग दर्ज नही कराया था परन्तु आनंद अपने ताऊ के लडके सत्यपाल उर्फ नीटू आदि पर शक कर रहा था। इसके पश्चात दिनांक 22.08.2018 को आनंद के दूसरे पुत्र गौरव (उम्र 22 वर्ष) की फावडे से काट कर हत्या कर दी थी जिसमें मृतक सत्यपाल उर्फ नीटू के परिवार के अजय व पारूल के विरूद्ध थाना बिनौली पर मु.0अ0स0 351/18 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया था। अभियुक्त आनंद ने अपने दोनों पुत्रों अंकित व गौरव की हत्या मृतक सत्यपाल उर्फ नीटू आदि द्वारा करने की रंजिश को लेकर बदला लेने की योजना बनाई। इसी रजिश के चलते सत्यपाल उर्फ नीटू की दिन दहाडे गोली मारकर हत्या की गयी।

➢ **अभियुक्तों का नाम व पताः–**

1–आनन्द पुत्र बनवारी निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर थाना बिनौली जनपद बागपत।
2–श्रीमती मोहन देवी पत्नी आनन्द निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर थाना बिनौली जनपद बागपत।
3–कु0खुशबू पुत्री आनन्द निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर थाना बिनौली जनपद बागपत।

- **<u>बरामदगीः—</u>**

  1—दो अदद तमंचे 315 बोर नाजायज मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

- **आबकारी अधि0 मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 34 पेटी अंग्रेजी/देशी शराब नाजायज बरामद।**

  - **<u>थाना छपरौली—</u>** पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ग्राम सिनौली से अभियुक्त 1—भूरू सिंह पुत्र दयाचन्द नि0 ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 25 अंग्रेजी पेटी अंग्रेजी शराब अरूणाचल प्रदेश मार्का नाजायज **बरामद** की गयी।

  - **<u>थाना बागपत—</u>** पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान बन्दपुर तिराहे से अभियुक्त 1—सलीम पुत्र नूर हसन नि0 ग्राम हरचन्दपुर थाना बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 09 पेटी देशी शराब हरियाणा प्रदेश मार्का नाजायज **बरामद** की गयी।

- **चोरी की मोटरसाईकिल सहित अभियुक्त गिरफ्तार।**

  - **<u>थाना खेकडा—</u>** पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान डूंडा हेडा से अभियुक्त 1—अनवर पुत्र आशुदीन नि0 हसनपुर मसूरी थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से चोरी की हुई 01 मोटरसाईकिल स्पलेण्डर नम्बर—यूपी—15बीयू—2986 नाजायज **बरामद** की गयी।

- **एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

  - **<u>थाना खेकडा—</u>** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 77/19 धारा 307 भादवि मे वांछित अभियुक्त 1—आदेश पुत्र बालकिशन नि0 ग्राम गोठरा थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद किया गया।